

(12)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी - दमयंती कंवर

(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 208/2016 & GCMS NO. 2021/412

दायर दिनांक -05-09-2016

रामशरण गोस्वामी पुत्र जमनपुरी जाति गोस्वामी निवासी गुसाई की ढाणी तन कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

वादी

बनाम

1. शीशराम पुत्र श्री झुमापुरी जाति गोस्वामी निवासी गुसाई की ढाणी तन कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. श्रीमती दुर्गी देवी पत्नी श्री झुमापुरी जाति गोस्वामी निवासी गुसाई की ढाणी तन कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. देवकरण
4. शिम्भू
5. सुरेशराम
6. श्रीमती विमला देवी पत्नी शिवदान सिंह जाति जाट निवासी नेहरो की ढाणी तन कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
7. मूलचन्द पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी नेहरो की ढाणी तन कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
8. मोघापुरी पुत्र किशनपुरी जाति गोस्वामी निवासी गुसाई की ढाणी तन कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
10. बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा जाखल जरिये शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक जाखल।
11. बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कारी जरिये शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक कारी।

प्रतिवादीगण

वकील वादी : - श्री प्रदीप कुमार झाझड़िया

वकील प्रति. :- एकपक्षीय

दावा बाबत- घोषणार्थ, विभाजन

व स्थाई निषेधाज्ञा

-:: निर्णय ::-

दिनांक : 04.05.2022

वाद-पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :- वाके गुसाई की ढाणी तन कारी तहसील नवलगढ़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1043 रकबा 4.26 हैक्टर स्थित है जिसमें प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के द्वारा अपनी खातेदारी की जमीन अन्य लोगो के हक में विक्रय किये जाने के बाद प्रतिवादी नम्बर 1 की अपनी खातेदारी की जमीन 0.1633 हैक्टर शेष रही जो इस जमीन की जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 में नामान्तरण संख्या 110 दिनांक 5.9.11 के सम्बन्ध में की गई प्रविष्टियों से स्पष्ट है।

प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपनी खातेदारी की जमीन 0.1663 हैक्टर में से 177.77 वर्ग गज जमीन नम्बर 148 6988 वर्ग मीटर के समान होती है वादी को विक्रय कर दी व इस जमीन के पेटे प्रतिफल राशि 148 6988 दिनांक 12.01.2012 को वादी के हक में विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा दिया तथा इस जमीन का कब्जा नम्बर 1 को करवा दिया उसके बाद प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपनी खातेदारी की मीन विर्णत धारा 1 व 2 वाद पत्र में से 955

वर्ग मीटर ओर जमीन की पूर्व में उक्त अनुसार विक्रय की गई जमीन से लगती हुई वादी को विक्रय की तथा इस जमीन के पेटे भी सम्पूर्ण प्रतिफल राशि वादी से प्राप्त कर दिनांक 25.05.2012 को इस जमीन के बाबत वादी के हक में विक्रय पत्र पंजीकृत करवा कर इस जमीन का कब्जा भी वादी को दे दिया। इस प्रकार वादी उक्त अनुसार विक्रय पत्र दिनांक 12.01.2012 के अनुसार 148.6988 वर्गमीटर व विक्रय पत्र दिनांक 25.05.2012 के अनुसार 955 वर्गमीटर इस प्रकार कुल 0.11 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है व काबिज है परन्तु वादी द्वारा क्रयशुदा जमीन के बाबत वादी के नाम से नामान्तरण तस्दीक नही होने से इस भूमि वर्णित धारा 1 वाद-पत्र के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आदि में वादी का नाम दर्ज नही हो सका इसलिए वादी द्वारा उक्त अनुसार क्रय की गई 0.11 हैक्टर भूमि का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आदि प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम से ही चलता रहा है। उक्त अनुसार क्रयशुदा 0.11 हैक्टर भूमि पर क्रय किये जाने के रोज से वादी इस जमीन का खातेदार काश्तकार है व काबिज है तथा इस भूमि का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम से गलत दर्ज रहा जो वादी के खातेदारी हक अधिकारों के खिलाफ अवैध नल एण्ड वोर्ड शून्य बेअसर व निष्प्रभावी रहा। वादी उक्त अनुसार उसके हक में इस जमीन के बाबत करवाये गये पंजीकृत विक्रय पत्रों के आधार पर जमीन जैर बहस वर्णित धारा 1 व 2 वाद-पत्र में से 0.11 हेक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है व काबिज है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर वादी जमीन जैर बहस का राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवा कर जमीन वर्णित धारा 1 व 2 वाद पत्र में से 0.11 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार अपने आपको घोषित करवाने का अधिकार है।

प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 आपस में मात-पुत्र है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 8 ने आपस में साजिश करके वादी को उसकी खातेदारी की 0.11 हैक्टर भूमि के हक अधिकारों से वंचित रखने के लिए प्रतिवादी नम्बर 2 से एक दावा दुर्गा बनाम शीशराम वगेरह दावा बाबत विभाजन स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 303/2011 न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया जिसमें वादी उक्त अनुसार 0.11 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार होने के बावजूद वादी को उक्त दावा में पक्षकार नही बनाया गया न किसी प्रकार से सुनवाई का कोई अवसर दिया गया। उक्त दावा प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 8 द्वारा आपस में कोल्यूनन करके किया जाना इस बात से भी प्रकट होता है कि दावा प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का विरोध प्रकट किया जाना नही होता। बाला बाला विभाजन प्रस्ताव लिए जाकर दिनांक 29.02.2016 को गलत रूप से प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा को गलत रूप से डिक्री किया गया है। प्राकृतिक न्याय के लिए यह सिद्धांत प्रतिपातित है कि किसी को निस्तारित किये जाने से पूर्व हर क हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर देते हुये प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए तथा यह भी प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति को पीठ पीछे दिये गये किसी निर्णय से वह हितबद्ध व्यक्ति बाउण्ड नही होता जिसका पीठ पीछे बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय या डिक्री पारित की गई है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित जमीन के सम्बन्ध में पारित किये गये निर्णय व डिक्री से उक्त परिस्थितियों में वादी कानून से बाउण्ड नही है। वादी के इस जमीन वर्णित धारा 1 व 2 वाद-पत्र में उक्त अनुसार निहित खातेदारी अधिकारों के खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 29.02.2016 एबिडिनिसियों नल एण्ड वोर्ड है तथा उक्त निर्णय व डिक्री से वादी के जमीन जैर बहस में 0.11 हैक्टर हिस्से की भूमि के बाबत प्राप्त हुये हक अधिकार प्रभावित नही होते। इस प्रकार निर्णय व डिक्री दिनांक 29.02.2016 व इसकी अनुपालना में इस जमीन जैर बहस के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आदि में दर्ज प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 8 के नाम की प्रविष्टियां इस जमीन जैर बहस के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आदि में दर्ज प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 8 के नाम की प्रविष्टियां एबिडिनिसियों नल एण्ड वोर्ड होते हुये निष्प्रभावी है व काबिले दुरुस्ती है। वादी उक्त 0.11 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है व काबिज है तथा उक्त अनुसार गलत निर्णय व डिक्री की अनुपालना में बने राजस्व रिकार्ड से वादी पाबन्द नही है।

दिनांक 21.08.2016 को प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 ने वादी को उसकी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा कर इस भूमि के वादी के उपयोग उपभोग में बाधा डालने की धमकी दी तथा वादी से कहा कि प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 8 के हक में न्यायालय द्वारा फैसला दिया हुआ है जिसके अनुसार वादी का नाम इस भूमि के रिकार्ड में दर्ज ही नही है। इस पर वादी ने न्यायालय में मालुमात किया तो वादी को

14

निर्णय व डिक्री दिनांक 29.02.2016 के बाबत बताये जाने पर वादी ने दिनांक 22.08.2016 को निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जो नकल उसी रोज तैयार की जाकर वादी को दिये जाने पर वादी को निर्णय व डिक्री दिनांक 29.02.2016 के बाबत जानकारी हुई। दिनांक 22.08.2016 से पहले वादी को उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 29.02.2016 के बाबत कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद दिनांक 24.08.2016 को वादी ने इस जमीन जेर बहस वर्णित धारा 1 वाद-पत्र की जमाबंदी की पटवारी हल्का से नकल प्राप्त की जिसमें भी विवादित जमीन के राजस्व रिकार्ड ने वादी का 0.11 हैक्टर भूमि में नाम दर्ज होना नहीं पाया गया।

वादी को उक्त अनुसार न्यायालय श्रीमान के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.02.2016 व विवादित भूमि के गलत राजस्व रिकार्ड के बाबत जानकारी होने पर वादी ने दिनांक 25.08.2016 को प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 से सम्पर्क कर जमीन जेर बहस के राजस्व रिकार्ड को विधिनुकुल दुरुस्त करवा कर बंटवारा करवाये जाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 08 ने वादी को इस जमीन जेर बहस का राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवाने व विधिवत बंटवारा करवाने से इन्कार कर दिया तथा वादी का इस जमीन जेर बहस में कोई हक हिस्सा होने से भी इन्कार कर दिया व वादी को इस जमीन में 0.11 हैक्टर भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा डालने की धमकी दी व इस जमीन को इस जमीन के गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में अन्य किसी के हक में विक्रय कर विक्रय पत्र पंजिकृत करवाने की धमकी दी। इसलिए वादी को अपने हकूकों की रक्षार्थ यह दावा करना आवश्यक हुआ है।

यह है कि बिनाये मुखासत दावा हाजा के लिए दिनांक 22.08.2016 के बारे में बताये जाने पर उसी रोज निर्णय व डिक्री की नकले प्राप्त हुई व दिनांक 24.08.2016 को जब वादी को इस जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी की नकल पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर वादी को इस भूमि के गलत राजस्व रिकार्ड व इस राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से प्रविष्टियां नहीं होने के तथ्य की जानकारी हुई। उसके बाद दिनांक 25.08.2016 को जब वादी ने प्रतिवादीगण नम्बर 01 लगायत 8 को इस जमीन जेर बहस का राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवाने से व इस जमीन का विधिवत बंटवारा करवाने से व वादी को इस जमीन में कोई हक हिस्सा होने से इन्कार कर दिया व इस जमीन के वादी के उपयोग उपभोग में बाधा डालने की व इस जमीन को किसी अन्य के हक में विक्रय कर इसे जमीन जेर बहस को खुर्द-बुर्द करने की धमकी दी जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

विवादित जमीन जेर बहस प्रतिवादी नम्बर 10, 11 के रहन होने के बाबत 1 को तरतिबी पक्षकार बनाया गया है। दावा में विधिवत खाता विभाजन की सिद्धी चाही गई है। इसलिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ़ को पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है।

यह है कि दावा को सुनने का हक न्यायालय को अन्तर्गत धारा 53, 88, 92ए, 188 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम व इसी एक्ट के तृतीय सेड्यूल के सीरियल नम्बर 3, 5 8बी, 23सी के तहत है। घोषणा दुरुस्ती रिकार्ड व बंटवारा के दावा के लिए कोई मियाद मुर्कर नहीं है। स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा नियमानुसार अन्दर मियाद पेश है।

वादी द्वारा वाद-पत्र में अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि :-

- (क) इशतकरार ह कइस अमर का फरमाया जावे वादी जमीन खसरा नम्बर 1043 तादादी 4.26 हैक्टर वाके ग्राम गुसाई की ढाणी में से 0.11 हैक्टर भूमि का खातेदार काशतकार है व काबिज है तथा इसके विपरीत इस जमीन के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 के नाम की प्रविष्टिया अवेध, एबइनिशियों वोर्डेड नल एण्ड वोर्डेड, शून्य बेअसर व निष्प्रभावी है जो काबिले दुरुस्ती है जिसे दुरुस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।
- (ख) जमीन वर्णित धारा 1 वाद-पत्र का बंटवारा इस प्रकार कर दिया जोव कि वादी को 0.11 हैक्टर भूमि प्राप्त हो तथा वादी की खातेदारी की भूमि 0.11 हैक्टर को अलग किया जाकर वादी की खातेदारी की इस भूमि का अलग खाता कायम किया जावे।

- (ग) प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 8 वाद की खातेदार की भूमि खसरा नम्बर 1043 रकबा 4.26 हैक्टर में से 0.11 हैक्टर भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा नही डाले व न इस जमीन को किसी अन्य के हक में विक्रय कर खुर्द-बुर्द करे।
- (घ) खर्चा दावा दिलवाया जावे।
- (ङ) अन्य दादरसी जो वादी के हक में हो तथा भूल से चाही जाने से रह गई हो, हस्ब धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दिलवाई जावे।

वादी द्वारा वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण 1, 3 लगायत 7, 9 लगायत 11 की दिनांक 22.03.2017 को प्रतिवादीगण संख्या 8 की दिनांक 2.11.2017 तथा प्रतिवादी नम्बर 2 की दिनांक 31.10.2019 को इनके ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही होने प्रकरण में तनकी कायम किये जाने की आवश्यकता नही रहती है तदपश्चात शहादत वादी ली गई। शहादत वादी में वादी रामशरण गोस्वामी पुत्र जमनपुरी जाति गोस्वामी, गवाह मनीराम पुत्र प्रेमपुरी जाति गुसाई निवासी गुसाई की ढाणी तथा भगवानपुरी पुत्र स्व. श्री झुथापुरी जाति गोस्वामी निवासी गुसाई की ढाणी उपस्थित हो अपनी मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजात् प्रदर्श-1 जमाबंदी सम्बत् 2067-2070, प्रदर्श-2ए विक्रय पत्र दिनांक 12.01.2012, प्रदर्श-3ए विक्रय पत्र दिनांक 25.05.2012 प्रदर्श-4 नक्शा ट्रेश आदि प्रदर्शित करवाये।

प्रतिवादीगण 1, 3 लगायत 7, 9 लगायत 11 की दिनांक 22.03.2017 को प्रतिवादीगण संख्या 8 की दिनांक 2.11.2017 तथा प्रतिवादी नम्बर 2 की दिनांक 31.10.2019 की एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने से शहादत प्रतिवादी नही ली गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने दौरान बहस वाद-पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की गई तथा कथन किया कि गुसाई की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1043 रकबा 4.26 हैक्टर स्थित है जिसमें प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के द्वारा अपनी खातेदारी की जमीन अन्य लोगो के हक में विक्रय किये जाने के बाद प्रतिवादी नम्बर 1 की अपनी खातेदारी की जमीन 0.1633 हैक्टर शेष रही जो इस जमीन की जमाबंदी सम्बत् 2067 से 2070 में नामान्तरण संख्या 110 दिनांक 5.9.11 के सम्बन्ध में की गई प्रविष्टियों से स्पष्ट है। प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपनी खातेदारी की जमीन 0.1663 हैक्टर में से 177.77 वर्ग गज जमीन वादी को विक्रय कर दी व इस जमीन के पेटे प्रतिफल राशि प्राप्त कर दिनांक 12.01.2012 को वादी के हक में विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा दिया तथा प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपनी खातेदारी की मीन वर्णित धारा 1 व 2 वाद पत्र में से 955 वर्गमीटर ओर जमीन की पूर्व में उक्त अनुसार विक्रय की गई जमीन से लगती हुई वादी को विक्रय की तथा इस जमीन के पेटे भी सम्पूर्ण प्रतिफल राशि वादी से प्राप्त कर दिनांक 25.05.2012 को इस जमीन के बाबत वादी के हक में विक्रय पत्र पंजीकृत करवा कर इस जमीन का कब्जा भी वादी को दे दिया। इस प्रकार वादी उक्त अनुसार विक्रय पत्र दिनांक 12.01.2012 के अनुसार 148.6988 वर्गमीटर व विक्रय पत्र दिनांक 25.05.2012 के अनुसार 955 वर्गमीटर इस प्रकार कुल 0.11 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है व काबिज है परन्तु वादी द्वारा क्रयशुदा जमीन के बाबत वादी के नाम से नामान्तरण तस्दीक नही होने से इस भूमि वर्णित धारा 1 वाद-पत्र के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आदि में वादी का नाम दर्ज नही हो सका। क्रय की गई 0.11 हैक्टर भूमि का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आदि प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम से ही चलता रहा है। क्रयशुदा 0.11 हैक्टर भूमि पर क्रय किये जाने के रोज से वादी इस जमीन का खातेदार काश्तकार है व काबिज है तथा इस भूमि का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम से गलत दर्ज रहा जो वादी के खातेदारी हक अधिकारों के खिलाफ अवैध नल एण्ड वोर्ड शून्य बेअसर व निष्प्रभावी रहा। वादी उक्त अनुसार उसके हक में इस जमीन के बाबत करवाये गये पंजिकृत विक्रय पत्रों के आधार पर जमीन जैर बहस वर्णित धारा 1 व 2 वाद-पत्र मे से 0.11 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है व काबिज है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर वादी जमीन जैर

बहस का राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवा कर जमीन वर्णित धारा 1 व 2 वाद पत्र में से 0.11 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

बहस वादी अधिवक्ता का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रदर्श-1 के अनुसार विवादग्रस्त गुसाई की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1043 रकबा 4.26 हैक्टर स्थित है जो प्रदर्श-1 से साबित होती है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के द्वारा अपनी खातेदारी की जमीन अन्य लोगों के हक में विक्रय किये जाने के बाद प्रतिवादी नम्बर 1 की अपनी खातेदारी की जमीन 0.1633 हैक्टर शेष रही जो इस जमीन की जमाबंदी सम्बत् 2067 से 2070 में नामान्तरण संख्या 110 दिनांक 5.9.11 के सम्बन्ध में की गई प्रविष्टियों से स्पष्ट है। प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपनी खातेदारी की जमीन 0.1663 हैक्टर में से 177.77 वर्ग गज जमीन वादी को विक्रय कर दी। प्रदर्श 2ए विक्रय पत्र दिनांक 12.01.2012 तथा प्रदर्श-3ए विक्रय पत्र दिनांक 25.05.2012 के द्वारा वादी के हक में बेचान कर विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा दिया जो प्रदर्श 2ए, 3ए से साबित होता है। प्रदर्श-2ए, 3ए का अवलोकन किया जाये तो वादी के हक में पंजीबद्ध विक्रय पत्र में दिनांक 12.01.2012 के पृष्ठ संख्या 3 में " एक प्लॉट क्षेत्रफल 177.77 वर्गगज अर्थात् 148.6988 वर्गमीटर" आवासीय प्रयोजन तथा विक्रय पत्र दिनांक 25.05.2012 के पृष्ठ संख्या 3 में " एक प्लॉट क्षेत्रफल 955 वर्गमीटर" आवासीय प्रयोजन अंकित किया गया है। दोनो विक्रय पत्र कृषि प्रयोजन से नहीं होकर मात्र आवासीय प्रयोजन से क्रय किये गये हैं। गवाहान् द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्रों में भूमि को कृषि हेतु क्रय किए जाने का कथन किया है, वहीं पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्रों में स्पष्ट रूप से भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ क्रय किया जाना अंकित है। इस प्रकार विक्रय पत्रों व शपथ पत्रों में भूमि की प्रकृति के संबंध में किए गए कथन विरोधाभाषी हैं। वादी द्वारा क्रय की गई भूमि आवासीय प्रयोजन से क्रय की गई है। चूंकि भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय किया गया है। अतः वादी को वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप वादी वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित नहीं है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 04.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)

सहायक क्लर्क (फाईलिंग)
नवलगढ़ जिला न्यायालय (राज.)

12

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणार्थ, विभाजन

व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं०:- 208/2016

(रामशरण गोस्वामी बनाम शीशराम आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू दमयंती कंवर (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 04.05.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना वहन करेगे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 04.05.2022 को जारी की गई।

दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	—	स्टाम्प अर्जी	—
महनताना वकील	—	महनताना वकील	—
खर्चा गवाहान	—	खर्चा गवाहान	—
फीस कमिश्नर	—	फीस कमिश्नर	—
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	बाबत इजराय हुक्मनामा	—
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00